**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 1936**
**गुरुवार, 30 जुलाई, 2026/8 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## पश्चिम एशिया संकट का विमानन क्षेत्र पर प्रभाव

**1936. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्जः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वायु मार्ग के व्यवधान, ईंधन लागत, यात्री यातायात और कार्गो आवाजाही सहित भारत के विमानन क्षेत्र पर जारी पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी समीक्षा में वैकल्पिक मार्ग, आपातकालीन परिचालन व्यवस्थाओं और एयरलाइन की तैयारियों सहित विमानन आकस्मिक योजना में कमियों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किराया निगरानी, मार्ग प्रबंधन और परिचालन निरंतरता के माध्यम से यात्रियों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने व्यापार, पर्यटन और विमानन क्षेत्र पर दीर्घकालिक क्षेत्रीय अस्थिरता के संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या भू-राजनीतिक व्यवधानों के विरुद्ध भारत के विमानन क्षेत्र के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए मापने योग्य लक्ष्यों के साथ कोई कार्य-योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पश्चिमी एशिया संघर्ष से उत्पन्न होने वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रियों, चालक दल और विमान की संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कई एडवाइजरी जारी की हैं। ये एडवाइजरी प्रभावित हवाई क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्रों पर परिचालन मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिसमें एयरमैन को नोटिस (एनओटीएएम), उड़ान सूचना क्षेत्र (एफआईआर) बाउंड्रीज शामिल हैं, ताकि संरक्षित उड़ान परिचालनों को सुगम बनाया जा सके। भारतीय वाहकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उड़ानों की री-रूटिंग से उड़ान-अवधि, उच्च ईंधन खपत और अतिरिक्त परिचालन लागत में वृद्धि हुई है। एयरलाइनें परिचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रहीं हैं।

(ख) : डीजीसीए निरंतर विकास कार्यों की निगरानी करता है और एयरलाइनों को परिचालन संबंधी एडवाइजरी जारी करता है। भारतीय वाहक संरक्षित परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षा जोखिम आकलन और वैकल्पिक रूटिंग, जहाँ भी आवश्यक हो, अपनाते हैं।

(ग) से (ङ): रियल-टाइम समन्वयन और यात्री सहायता के लिए 24*7 यात्री सहायता नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था, जबकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइनों को आवश्यक संरक्षा एडवाइजरी और परिचालन मार्गदर्शन जारी किया था। एयरलाइनों को रिफंड और रिशेड्यूलिंग की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई थी, और हवाईअड्डा हेल्प डेस्क एवं रियल-टाइम यात्रा अपडेट के माध्यम से यात्री सहायता को सुदृढ़ किया गया था। इस क्षेत्र में भारतीय विमान वाहकों और भारतीय नागरिकों से संबंधित नई अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इस मंत्रालय ने भी विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया। रियाद में भारतीय मिशन ने बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई में भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करके सऊदी अरब के माध्यम से प्रभावित व्यक्तियों के पारगमन की सुविधा प्रदान की।

सरकार नागर विमानन परिचालनों को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी करती है।

*****